MU/Registrar/Covind-19/2021-22 /120

13-09-2021

:आदेश:

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक **क्रमांक 704/सी.सी./2021/अड़तीस** भोपाल, दिनांक 09.09.2021 के द्वारा जारी आदेश के आधार पर मंदसौर विश्वविद्यालय ने **सत्र 2021–22** की शैक्षणिक गतिविधियाँ **20 सितम्बर, 2021** से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है, बी.एस.सी. एग्रीकल्चर के छात्रों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ कक्षांए 11 अक्टुबर 2021 से प्रारंभ होने का निर्णय लिया गया है।

शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करनें के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है:–

1. शिक्षण कार्य के लिए निर्देश :

1.1 मंदसौर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टॉफ की शत–प्रतिशत उपस्थिति होगी।

1.2 मंदसौर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, जो कि ऑड–इवन नामांकन नंबर के आधार पर होगा।

1.3 छात्रों की कक्षाओं में भौतिक रूप से उपस्थिति एच्छिक आधार पर होगी।

1.4 छात्र–छात्राओ के घोषणा पत्र एवं माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर उपस्थिति स्वीकार्य होगी। माता/पिता/अभिभावक द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। घोषणा पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय की बेवसाईड www.meu.edu पर उपलब्ध है। छात्र–छात्रांए घोषणा पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर एंव भरकर विभागाध्यक्ष को जमा कराए।

1.5 विभागो द्वारा ऑनलाईन कक्षाओ का संचालन भी जारी रहेगा।

1.6 HOD/Course Coordinator द्वारा यह सुनिश्चित हो कि कक्षाओं के संचालन में कोविड–19 से संबंधित नियमों का पालन किया जाए।

2. पुस्तकालय के लिए निर्देश :

2.1 पुस्तकालय में केवल पंजीकृत विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए।

2.2 पुस्तकालय में प्रवेष के पूर्व कर्मचारियो/विद्यार्थियों का शारीरिक तापमान लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2.3 पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए अध्ययन समय कार्यालयीन समयानुसार सुनिश्चित किया जाए।

2.4 गंथालय में प्रवेश के पूर्व विद्यार्थी आवश्यक रूप से मास्क पहनें, हाथों को सेनेटाइज करें एंव पुस्ताकालय में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें।

2.5 पुस्तकालय में प्रवेश के उपरांत अपना बैग, लेपटॉप इत्यादि पुस्तकालय में प्रापर्टी काउंटर पर रखें।

2.6 पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में क्षमता से 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

2.7 किसी भी विद्यार्थी के कोविड–19 से संक्रमित पाये जाने पर पुस्तकालय को तत्काल खाली करवा कर सेनेटाइज करवाए जाए।

3. छात्रावास हेतु निर्देश :

3.1 मंदसैार विश्वविद्यालय में छात्रावास चरणबध्द रूप से आरंभ होंगे। प्रथम चरण में स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोले जायेंगे परंतु बी.एस.सी. एग्रील्चर के छात्रों की उपस्थिति छात्रावास में 11 अक्टुबर 2021 से मान्य होगी।

3.2 छात्रावासी परिसर में सोशल डिस्टेन्सिंग, सेनेटाइजेशन एंव सभी विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए।

3.3 डायनिंग हॉल में विद्यार्थियों की पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाए।

3.4 रसोई, डायनिंग हॉल, स्नानागार एंव शौचालय आदि की स्वच्छता की निगरानी सतत रखी जाए।

3.5 यथा संभव आवश्यक वस्तुओं को छात्रावास–परिसर में ही उपलब्ध कराया जाए। विद्यार्थियों एंव कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से बाजार में जाने से बचना चाहिए।

3.6 छात्रावास में मंदसौर विश्वविद्यालय के स्टाफ के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों के प्रवेश को वर्जित किया जाए।

3.7 किसी भी विद्यार्थी या स्टाफ में कोविड–19 के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरंत आयसोलेशन के साथ चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

3.8 छात्रावासों में राज्य हेल्पलाइन नम्बर और स्थानीय अस्पताल, वार्डन, मेडिकल ऑफिसर आदि के नम्बर सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जाएँ, जिससे किसी भी आपात स्थिति में शिक्षकों एंव विद्यार्थियों द्वारा संपर्क किया जा सके।

3.9 विद्यार्थियों के घोषणा पत्र एंव माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर ही विद्यार्थी को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

3.10 संक्रमित व्यक्ति के लिए आयसोलेशन एंव क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था छात्रावास में पृथक रूप से अथवा शासकीय अस्पताल में की जानी चाहिए।

4. **मेस व्यवस्था के निर्देश :**

4.1 छात्रावास के भोजन कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या(छोटे–छोटे बैच बनाकर) निर्धारित की जाए तथा मेस की समय –सारणी बनाकर समयावधि बढाई जाए।

4.2 भोजन बनानें एंव खाना परोसने वाले स्टाफ द्वारा फेस कवर, मास्क का उपयोग तथा हाथों को सेनेटाइज किया जाना आवश्यक है।

4.3 यह सुनिश्चित किया जाए कि भोजन ताजा, पौष्टिक एंव वरिष्ट कर्मचारी की निगरानी में बनाया गया हो तथा उपयोग में लाये जाने वाले बर्तन साफ–सुथरे हो।

4.4 मेस में पीने के स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

4.5 उपयोग में लाये जाने वाले बर्तन साफ–सुथरे हों। विद्यार्थियों द्वारा मेस में प्रवेश के समय हाथ धोना/सेनेटाइज करना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

4.6 यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रतिदिन रसोई(खाना बनाने का स्थान, बर्तन धोने का स्थान) को अच्छी तरह से साफ एंव सेनेटाइज किया गया हो तथा गंदा पानी एक स्थान पर एकत्रित न हो।

4.7 मेस (भोजन कक्ष) में विद्यार्थियों के बैठने के स्थान को प्रतिदिन स्वच्छ एंव सेनेटाइज किया जाए।

4.8 छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों के लिए मेस व्यवस्था अनिवार्य हो, ताकि विद्यार्थियों को बाहर से भोजन मंगवाने की आवश्यकता न हो।

5. **स्टोर संबंधित निर्देश :**

5.1 स्टोर कर्मचारी यह सुनिश्चित करे कि कोविड–19 के रोकथाम एंव निर्देशों का पालन के लिए आवश्यक वस्तुंए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे।

6. **बस संचालन संबंधित निर्देश :**

6.1 मंदसौर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परिवहन वाहनों में विद्यार्थियों के मध्य भौतिक दूरी सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिषत क्षमता के साथ चलाना सुनिश्चित हो।

6.2 बसों में सेनेटाइजेशन 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग के साथ सुनिश्चित हो।

7. **सुरक्षा सम्बन्धी निर्देश :**

7.1 सभी विभाग द्वारा अपने स्टाफ एंव विद्यार्थियों को स्वास्थ्य एंव कोविड–19 संबंधी समस्याओं के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए।

7.2 कोविड–19 के संक्रमण के बचाव के लिये उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं लक्षण पाये जाने पर चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए।

7.3 किसी भी स्थिति में कन्टेन्मेन्ट जोन से संबंधित विद्यार्थी व स्टाफ का संस्था में प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए।

7.4 विद्यार्थी एंव स्टाफ आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किये जाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

7.5 मंदसौर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों क लिए वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा।

7.6 मंदसौर विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी एंव कर्मचारी जिनहे चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर वैक्सीनेशन की छूट है, उनके संबंध में संस्था प्रमुख निर्णय कर ऑनलाइन कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे।

7.7 मंदसौर विश्वविद्यालय में कोविड–19 के संदर्भ में केन्द्र शासन, राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7.8 कोविड–19 की विभिनन स्थितियों से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन संस्था स्तर पर किया जाना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ शिक्षक, विद्यार्थी, एन.जी.ओ. स्वास्थ्य संगठन एंव सरकारी अधिकरी आदि सम्मिलित किये जा सकते है। शिक्षक, स्टाफ एंव विद्यार्थियों को संबंधित कार्ययोजना एंव संस्था में संचालित गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

7.9 समस्त संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि मंदसौर विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एंव अशैक्षणिक स्टाफ को वैक्सिनेशन का कम से कम एक डोज लगवाकर कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। जिन्होनें दोनो डोज लगवा लिया हो, वे फाइनल सर्टिफिकेट जमा करेंगे। विद्यार्थी परिशिष्ट–एक के साथ प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।

8. टास्क फोर्स :

8.1 Campus-1

Serial No	Name	Designation	Designation in Task Force
1	Mr. R.P Kumawat	Sr. Faculty Member	Chairman
2	Dr. Shila Devi	Sr. Faculty Member	Member
3	Mr. Ruben Shaha	Sr. Faculty Member	Member
4	Mr. Komal Singh	Boy's Hostel Warden	Member
5	Mrs. Shashi Gupta	Girls Hostel Warden	Member
6	Mr. Rajesh Sankhla	Estate Supervisor	Member
7	Mr. Sanjay Patel	Security Officer	Member

Reserve Sr. Faculty Members:

- Ms. Neha Upadyay
- Mr. Anil Ekvan

8.2 Campus-2

Serial No	Name	Designation	Designation in Task Force
1	Dr. Naveen Choudhary	Sr. Faculty Member	Chairman
2	Dr. Arun Mishra	Sr. Faculty Member	Member
3	Dr. Rahul Trivedi	Sr. Faculty Member	Member
4	Mr. Manoj Prajapat	Boy's Hostel Warden	Member
5	Mrs. Tulsi Modi	Girls Hostel Warden	Member
6	Mr. Vijay Sharma	Estate Supervisor	Member
7	Mr. Bhagat Ram	Security I/C	Member

Reserve Sr. Faculty Members:

- Dr. Shushant Maksana
- Mr. Lokandra sing Chundawat

8.3 उपरोक्त टॉस्क फोर्स अपने–अपने Campus में भ्रमण कर शासन द्वारा प्राप्त कॉविड–19 के दिशा–निर्देशो का पालन हो यह सुनिश्चित करेगी एंव प्रत्येक शुक्रवार को माननीय कुलपति महोदय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

कुलसचिव
मंदसौर विश्वविद्यालय,मंदसौर
Registrar
Mandsaur University
MANDSAUR

प्रतिलिपिः–

- माननीय कुलपति मंदसौर विश्वविद्यालय,मंदसौर
- सचिव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल